SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant
Name and address of the Complainant
73110 DO DIRC
Name , parentage, caste and address of accused
Name, parentage, caste and address of accused O 3134 SIO - TITY SIN WILG 24 da RIO 1971 TO PSOITE
병하는 생활을 하는 것이 있는 것이 되었다. 그런 그는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 전략으로 생활을 보고 있는 것이 되었다. 그런 것이 되었다. 그런 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 생활을 하는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 그런 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 28110117 मुकाम नियंतिर्हा को जाइकी जाउका, 21/87 पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 2 लीटर/पाव/बोतल ने द्वारा शराब विकथ/ परिव्रहन हेतु रखी।
하다 살아내는 사람들은 사람들은 아내는 사람들이 되었다. 그렇게 되었다면 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는데 없는데 없다면 없다면 없다.
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराघ कारित किया
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
Saira
The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। यून दण्ड रो दण्डित करने का निवेदन है।

3101493412

किएक स्थापन क्षेत्र क

of a great spectrum of the

//निर्णय//

(आज दिनांक ... 8-11-1.ने... को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेव्छापूर्वक जुर्म / अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये \$ ७०० शब्दों में जिल्हा की जाने पर का साधारण अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
 - 04 जप्तशुदा सम्पत्ति २२ काजीटर/पाव/बोतल २३ के शराब शराब प्रथात् नियमानुसार गृह्यकीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार को भाग होते अपील स्थायालय के आदेश का

Son i